



न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र कार्यालय मध्यप्रदेश  
 प्रकरण क्रमांक: 193 निगमना

गुरुचमल पिता सुधीलाल लखीवाड़ा निवासी मन्दावाड़ा  
 लखीवाड़ा जिला मन्दावाड़ा (म.प्र.)

विरुद्ध

- 08. रामगोपाल पिता श्रीमप्रकाश लखीवाड़ी
- 02. श्रीमप्रकाश पिता सुधीलाल
- 09. मुन्नाबाई पिता सुधीलाल लखीवाड़ा निवासी
- धनश्याम पिता मनोहर लखीवाड़ा निवासी
- मानपुरा जिला (म.प्र.)

मानवावेदकमण

*Handwritten notes:*  
 20/12/2014  
 20/12/2014  
 20/12/2014  
 20/12/2014

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश न्यायिक**

प्रकरण क्रमांक सीएच 1043 दिनांक 14

दिनांक 14/05/2014

पुनर्निर्देश  
1043

राजस्व मण्डल

राजस्व  
मण्डल  
मध्यप्रदेश

14/7/14

प्रकरण का अद्ययावत किया गए आवेदन अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तकी पत्र के तहत किया एवं आलाप्य आवेदन का अद्ययावत किया गया है। अतः प्रकरण को स्थगित किया कि आवेदन द्वारा निवारण न्यायालय में एक आवेदन की तारीख की गई कि निर्देश न्यायालय में निर्देश प्राप्त तक कार्यवाही को स्थगित रखा जाय विचारण न्यायालय न रागवण्ड उपरांत उक्त आवेदन निरस्त किया जिसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी अपर कलेक्टर ने निरस्त की है। अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष विधिवत् है कि दस्तावेज प्रकरणों में प्रकरण न्यायालयों में प्रवर्तित करने के योज्यतेक कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। नामांतरण प्रकरणों में नहीं है। प्रकरण का निरकरण अभी विचारण न्यायालय में प्रवर्तित कर है। प्रकरण में अस्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आवेदन के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी आवेदन किसे प्राप्त की गई। औचित्य प्रकरण में प्रकरण में निर्देश प्राप्त निगरानी प्रकरण की जाती है। आवेदन प्राप्त करने पर प्रकरण प्रवर्तित रखा जाय।

14/7/14  
राजस्व मण्डल